मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी

डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनमत.

पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2009—श्रावण 7, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्र. एफ 2-1-2009-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में उस संशोधन का जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, निम्निलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के अवसान हो जाने पर उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालाविध के अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम ७ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :--

''7-क- वर्तमान में कार्यरत् मध्यप्रदेश शिक्षा गारण्टी स्कीम के गुरूजी तथा पर्यवेक्षकों तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर

शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों में से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध—

- (1) वर्तमान में कार्यरत् मध्यप्रदेश शिक्षा गारण्टी स्कीम के गुरुजी तथा पर्यवेक्षक तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी.
- (2) उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को ऐसी एजेंसी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिये.
- (3) उप नियम (2) के अधीन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थी को ऐसी अर्हताएं रखनी चाहिए जो इन नियमों की अनुसूची-दो के अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (5) में विहित की गई हो.
- (4) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति के पश्चात् अभ्यर्थी इन नियमों में विहित किए गए अनुसार वहीं संविदा रकम या ऐसी रकम, जो वे अपने पूर्व पद पर प्राप्त कर रहे थे, इनमें से जो भी अधिक हो, प्राप्त करेंगे.
- (5) उक्त नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- (6) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात्, अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगी, जैसे कि इन नियमों में विहित की जाए.''.
- 2. अनुसूची-दो में अनुक्रमांक 3 में शीर्षक ''नोट (क) अर्हताएं'', के अधीन खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - "(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से परे बारह वर्ष की छूट दी जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उ**र्मिला सुरेन्द्र शुक्ला**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्र. एफ 2-1-2009-बाईस-पं-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 29 जुलाई 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 29th July 2009

NOTICE

No. F. 2-1-2009-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayati Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (S. No. 1, year 1994) is being published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all the persons likely to be

affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration after thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

- 1. After rule-7 the following rule shall be inserted, namely:—
- "7-A Special provision for the appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3 from persent working Guruji and Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme and Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education centers,—
 - (1) The present working Guruji and Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme and Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education centres may be appointed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3.
 - (2) For the appointment under sub-rule (1), the candidate should pass the eligibility examination conducted by such an agency as may be specified by the order of the State Government.
 - (3) For appearing in the examination under sub-rule (2) the candidate should posses the qualification as prescribed in column (5) against serial number 3 of Schedule-II of these rules.
 - (4) After the appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3 the candidate shall get the same contract amount as prescribed in these rules or as they were getting on the previous post, which ever is more.
 - (5) The maximum age limit should not be more than 62 years for said appointment.
 - (6) After the appointment under this rule, the other service conditions shall be such as prescribed in these rules.".
- 2. In Schedule-II, in serial number 3, under the heading "note (a) Qualifications" for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(4) The Honorary Teachers appointed for Government schools and part time teacher of vocational Education shall be given twelve years relaxation in maximum age limit of 35 years.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, URMILA SURENDRE SHUKLA, Dy. Secy.